न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — सौरभ स्वामी (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
06/2022	2022/50	06.07.2022	26.08.2022

श्री डालुदास उर्फ भैरूदास पुत्र श्री नारायण दास वैष्णव निवासी करजु तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

श्री नारायण दास पुत्र श्री हरिदास वैष्णव निवासी करजु तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

:– विपक्षी

अपील अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 एवं नियम 2010 के तहत् विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2022 द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी छोटीसादड़ी के संबंध में।

उपस्थिति :–
1. न्याय मित्र श्री अजय कुमार पिछोलिया (अपीलार्थी की ओर से)
2. श्री नारायण दास वैष्णव स्वयं

–: आदेश :– दिनांक :– 26.08.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2022 द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी छोटीसादड़ी के माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 एवं नियम 2010 के तहत् प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया गया कि :–

1. यह कि विपक्षी द्वारा अधिनस्थ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत एक परिवाद दिनांक 23.09.2021 अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 एवं नियम 2010 के तहत् को जरिये प्रकरण संख्या 13/2021 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज करते हुए उक्त परिवाद में विपक्षी संख्या –1 (अपीलार्थी के पिता) द्वारा चाहे गए अनुतोष से परे जाते हुए अधिनियम में विहित प्रावधानों के विपरीत विवादित आदेश प्रदान किया गया है जो कानूनी तौर पर निरस्त योग्य है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश के परिपेक्ष्य में निस्तारित परिवाद अन्तर्गत प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई अर्थात अपीलार्थी को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किये गए है।
3. यह कि परिवादी/विपक्षी द्वारा भरण– पोषण स्वरूप चाही गई राशि 5000/– रूपये के स्थान पर अपीलार्थी के कब्जे–काश्त की मौरूषी भूमियों के कब्जे अन्तरण का आदेश प्रदान कर दिया गया जो इस अधिनियम में विहित प्रावधानों के विपरीत है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

जवाब मांगा जिस पर विपक्षी की ओर से जवाब पेश कर यह निवेदन किया गया कि उसने अपने पिता के साथ कीसी भी तरह का दुर्व्यवहार नही किया

1. यह कि प्रश्नगत् प्रकृति के परिवादों को प्रथमतः अधिनियम एवं नियमों में विहित प्रावधानों के तहत् सक्षम सुलह अधिकारी के पास भेजे जाने के प्रावधान है जिसकी पालना नहीं की गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ प्राधिकरण से जारी विवादित आदेश दिनांक 09.05.2022 को अपास्त फरमावें।

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षी/परिवादी को सूचना पत्र जारी किये गए जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट विपक्षी/परिवादी स्वयं उपस्थित हुआ तथा अधिनस्थ से तलब मूल निर्णित पत्रावली बाद प्राप्ति रिकार्ड पर रखी जाकर प्रकरण में प्रस्तुत अपील में विवादित बिन्दुओं और परिवादी के कथनों के संबंध में समुचित सूनवाई की गई।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकार्ड एवं अधिनस्थ से प्राप्त रिकार्ड तथा परिवादी/विपक्षी के कथनों का गहनता पूर्वक अधिनियम/नियमों में विहित प्रावधानों के तहत अध्ययन एवं अवलोकन किया।

उपरोक्त विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि विपक्षी/परिवादी द्वारा अधिनस्थ अधिकरण के सक्षम प्रस्तुत परिवाद में चाहे गए अनुतोष के क्रम में प्रचलित अधिनियम–2007 एवं नियम –2010 में विहित् प्रावधानों से परे जाकर आक्षेपित आदेश जारी किया जाकर अपीलार्थी/विपक्षी की मौरूसी भूमियों के अन्तरण का आदेश प्रदान किया गया है। जबकि विपक्षी के 78 वर्षीय व्योवद्ध होकर सामान्य परिस्थितियों में विपक्षी कब्जा–काश्त अर्थात् जीविकोपार्जन में अक्षम प्रतीत होता है। जिससे विपक्षी अपीलार्थी का पिता होने से अपीलार्थी से जीवन संरक्षण एवं भरण–पोषण (बुनयादी आवश्यक्ताओं विशेषतः भोजन, कपड़े आवास और स्वास्थ्य देखभाल) का पात्र है। साथ ही विपक्षी/परिवादी द्वारा चाहे गए अन्य अनुतोष जीवन और सम्पति के संरक्षण हेतु अधिनियम की धारा 21 (जीवन और सम्पति का संरक्षण) में विहित् प्रावधानों की पालना सुनियोजित करने हेतु अधिनियम/नियम में नियुक्त अनुरक्षण अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक को भी प्रकरण संज्ञान हेतु प्रति भेजा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ अधिकरण से पारीत विवादित आदेश दिनांक 09.05.2022 को अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ अधिकरण के पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी) छोटीसादड़ी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि विपक्षी/परिवादी द्वारा अधिनस्थ अधिकरण के सक्षम प्रस्तुत परिवाद में चाहे गए अनुतोष के क्रम में उभय पक्षकारान प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत् समुचित अवसर प्रदान कराते हुए प्रचलित अधिनियम–2007 एवं नियम –2010 में विहित् प्रावधानों यथा नियम 13 (3) उप नियम (1) (क) से (ग) एवं नियम 14 में विहित् प्रावधानों अनुसार प्रकरण में अनुरक्षण अधिकारी की राय प्राप्त करते हुए विधिवत् निस्तारण करें। अन्य विवाद्यकों (मौरूसी भूमियों के कब्जे–काश्त) निर्धारण के संबंध में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति तथा प्रचलित राजस्व विधियों के तहत् प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ

प्रतिलिपी :– पालनार्थ एवं सूचनार्थ

1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रकरण के संबंध में अधिनियम की धारा 21 में विहित् प्रावधानों की पालना सुनियोजित कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी,
3. श्री डालुदास उर्फ भैरूदास पुत्र श्री नारायण दास वैष्णव निवासी करजु तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (अपीलार्थी)
4. श्री नारायण दास पुत्र श्री हरिदास वैष्णव निवासी करजु तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (परिवेदक/वरिष्ठ नागरिक)